सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक– 01.10.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित भोजपुर, मुंगेर एवं पटना जिलों के अंचलाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी अनुसार।

बैठक के प्रारंभ में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना द्वारा बैठक में उपस्थित भोजपुर, मुंगेर एवं पटना जिलों के अंचलाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं निम्न बिन्दुओं पर उपस्थित अंचलाधिकारियों से समीक्षा की गयी।

बैठक की प्रस्तावना एवं उद्देश्य

शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के अध्यक्षता में भोजपुर, मुंगेर एवं पटना जिलों के अंचल अधिकारियों (co) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि सुधार से जुड़ी योजनाओं और राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था। बैठक में विशेष रूप से जमाबंदी शुद्धीकरण, मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण, अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के आवेदन और राजस्व-महा-अभियान की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

1. जमाबंदी शुद्धीकरण एवं सक्रिय पहल संबंधी निर्देश

जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को दूर करने के लिए रैयतों के आवेदन का इंतजार न करें, बल्कि अंचल अधिकारी स्वयं सक्रिय पहल करते हुए त्रुटि सुधार के कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों को जमाबंदी में त्रुटि के कारण पूर्व में अस्वीकृत कर दिया गया था, उन सभी मामलों की दोबारा समीक्षा की जाए। आवश्यक सुधार के पश्चात् उन मामलों का निष्पादन करना प्रत्येक अंचल अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि **15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान जमाबंदियों में दर्ज** सभी प्रकार की त्रुटियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। ऐसी जमाबंदी की सूची विभाग स्तर से उपलब्ध करा दी गयी है।

2. मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण पर बल

मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए अंचल स्तर से त्वरित और सक्रिय पहल करने का निदेश दिया गया, साथ ही बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके निराकरण के लिए सभी अंचल अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ यथा–मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं पंच के साथ बैठक आयोजित करें।

जमाबंदी से संबंधित जो भी आवेदन राजस्व अभियान में प्राप्त हुआ है, उसे यथाशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। साथ ही विधान सभा के बैठक में भूमि वासगीत के मामलें ज्यादा आते है, उसे भी यथाशीघ्र निष्पादित किया जाय।

3. अंचल अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही और मॉनिटरिंग

सभी अंचल अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए केवल अपने सहयोगियों या कर्मचारियों पर निर्भर न रहें। अंचल कार्यालय में संचालित होने वाले सभी राजस्व कार्यों की पूरी जानकारी रखना, उनकी नियमित अंतराल पर समीक्षा करना और उनकी दैनिक प्रगति पर निगरानी बनाए रखना प्रत्येक अंचल अधिकारी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है।

4. अभियान बसेरा और भूमिहीन लाभुकों के लिए निर्देश

अभियान बसेरा योजना के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के आवेदनों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया गया कि पात्र भूमिहीन लाभुकों को अपने आवेदन जमा करने के लिए राज्य मुख्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सुगमतापूर्वक अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे लाभुकों को आवेदन प्रक्रिया की सही और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि किसी स्तर पर कोई व्यक्ति लाभुकों को भ्रमित करता हुआ पाया जाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभियान बसेरा के अन्तर्गत द्वितीय चरण का लक्ष्य 20 नवम्बर, 2026 तक पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया एवं अभियान बसेरा की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जानी है। सभी लोगों का आवेदन लें तथा उन्हें ऑनलाइन ही अपलाई करने के लिए प्रेरित करें। सभी प्राप्त आवेदनों का

निष्पादन समय से पूर्ण करें। साथ ही ऑफलाइन आवेदन लेने के बाद भी इन्ट्री ऑनलाइन ही करना है।

5. लचर कार्यप्रणाली और प्रशासनिक कार्रवाई

समीक्षा के दौरान जिन अंचलों में लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। राजस्व महा–अभियान के दौरान अधिकांश आवेदनों को बिना समुचित कारण के ही अस्वीकृत कर दिया गया है। उपरोक्त के आलोक में समीक्षोपरांत बैठक में निम्न निदेश दिये गये :–

(I) महा–अभियान में प्राप्त ऐसे 15 आवेदन जिनको अस्वीकृत किया गया है उसकी सूची विभागीय आई0टी0 कोषांग द्वारा सचिव को उपलब्ध कराई जाय।

(II) महा–अभियान कार्यक्रम में सही ढंग से कार्य नहीं करने वाले अंचल अधिकारी को वेतन में कटौती करने के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त एवं समाहर्त्ता को पत्र प्रेषित किया जाय।

(III) धनरूआ अंचल अधिकारी द्वारा 15 दिनों में 17 खाता और 20 प्लॉट सुधार किया गया है। इसी आधार पर उनका वेतन स्थगित करते हुए इनके स्थानातरण का निदेश दिया गया।

(IV) अंचल अधिकारी, मोकामा के द्वारा राजस्व महा–अभियानों में प्राप्त आवेदन मे से 308 आवेदन को अस्वीकृत किया गया है एवं मात्र एक आवेदन को स्वीकृत किया गया है। उनका यह कृत प्रथम दृष्टया संदेहास्पद है ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करने का निदेश दिया गया।

6. वर्चुअल कोर्ट :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्चुअल कोर्ट के सुनवाई के समय वीडियों/माइक को ऑफ रखा जा रहा है, जो एक गंभीर मामला है। वर्चुअल कोर्ट के सुनवाई के समय वीडियों/माइक को हमेशा ऑन रखा जाना है। साक्ष्य/अभिलेख को ऑनलाइन ही अपलोड करना है। कोर्ट रूम का परिदृश्य साफ सुथरा एवं गरिमामय होनी चाहिए एवं निर्धारित समय पर ही सुनवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।

7. सरकारी भूमि का सत्यापन :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कोईलवर, बड़हरा, मोकामा, दुल्हिनबजार एवं बिहियाँ अंचलों में सरकारी भूमि का सत्यापन प्रतिशत काफी कम है, जिसे यथाशीघ्र 100 प्रतिशत पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

8. **UnScanned Document request on Bhu-Abhilekh Portal** :–

समीक्षा के क्रम में ज्यादातर अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस संबंध में उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं है। बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारियों को इस संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी एवं इसे दो दिनों में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

9. भू–अभिलेख पोर्टल :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 14 लाख से अधिक सत्यापित प्रति निर्गत किये जाने का मामला निर्गत है। इसे एक सप्ताह में निष्पादित करने एवं साथ ही छूटे हुए राजस्व अभिलेखों को आगामी माह में निश्चित रूप से एजेंसी के माध्यम से अपलोड किये जाने का भी निदेश दिया गया। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन सत्यापित प्रति निर्गत नहीं की जानी है।

10. अन्यान्य :–

उक्त के अतिरिक्त 05 एकड़ से अधिक रकवा के सरकारी भूमि का सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाय। साथ ही रेकर्ड रूप, ई–मापी, के0सी डायरी के संबंध में भी बैठक में आवश्यक निदेश दिये गए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह) 01/26
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0/(अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025 अंश–1...1386 (10)/रा0, दिनांक–...26/10/26

E-mail ✓

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं मुंगेर/समाहर्त्ता, भोजपुर, मुंगेर एवं पटना/ अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, मुंगेर एवं पटना/ भोजपुर, मुंगेर एवं पटना जिला के सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ भोजपुर, मुंगेर एवं पटना जिला के सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.10.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0/(अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025 अंश–1....1386 (10)/रा0, दिनांक–...27/10/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री अनुपम प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.10.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0/(अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025 अंश–1....1386 (10)/रा0, दिनांक–...27/10/26

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.10.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।